अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2017

सं. 39/2017-केन्द्रीय कर

सा.का.नि.1253(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "सीजीएसटी अधिनियम" कहा गया है) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करती है कि संबंधित राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "उक्त अधिनियमों" कहा गया है) के अधीन, उक्त अधिनियम के आयुक्त द्वारा नियुक्त अधिकारी जो उक्त अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के प्रयोजन के लिए समुचित अधिकारी (जिन्हें इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "उक्त अधिकारियों" कहा गया है) होने के लिए प्राधिकृत किए जाते हैं, उक्त अधिकारियों की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता में अवस्थित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो उक्त अधिकारियों को प्रतिदाय की मंजूरी के लिए आवेदन करता है, की बाबत केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96 के सिवाय इसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के अधीन प्रतिदाय की मंजूरी के लिए उचित अधिकारी के रुप में कार्य करेंगे ।

[फा. सं. 349/74/2017-जीएसटी (पीटी)]

डा. श्रीपार्वती एस.एल.,अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2017

No. 39/2017 – Central Tax

G.S.R. 1253(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the "CGST Act"), on the recommendations of the Council, the Central Government hereby specifies that the officers appointed under the respective State Goods and Services Tax Act, 2017 or the Union Territory Goods and Service Tax Act, 2017 (14 of 2017) (hereafter in this notification referred to as "the said Acts") who are authorized to be the proper officers for the purposes of section 54 or section 55 of the said Acts (hereafter in this notification referred to as "the said officers") by the Commissioner of the said Acts, shall act as proper officers for the purpose of sanction of refund under section 54 or section 55 of the CGST Act read with the rules made thereunder except rule 96 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, in respect of a registered person located in the territorial jurisdiction of the said officers who applies for the sanction of refund to the said officers.

[F. No.349/74/2017-GST(Pt.)]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2017

सं. 40/2017- केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 1254(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त एक करोड़ पचास लाख रुपए से अधिक नहीं था या कोई

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसकी उस वर्ष में जिसमें ऐसे व्यक्ति ने रजिस्ट्रीकरण करवाया है, में सकल आवर्त एक करोड़ पचास लाख रुपए से कम होने की संभावना है और जिसने उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन संयुक्त उद्ग्रहण का विकल्प नहीं लिया था, ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 14 के उपबंधों के संबंध में परिस्थितियों सहित उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क) में यथा विनिर्दिष्ट पूर्ति के समय माल की जावक पूर्ति पर केन्द्रीय कर का संदाय करेगा, और तदनुसार उक्त अधिनियम के अध्याय 9 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में यथा विनिर्दिष्ट ब्यौरे और विवरणी को प्रस्तुत करेगा और रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा कर के संदाय के लिए विहित अवधि वह होगी जो उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट है।

[फा.सं. 349/74/2017-जीएसटी (पीटी)]

डा. श्रीपार्वती एस.एल.,अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2017

No. 40/2017 – Central Tax

G.S.R. 1254(E).— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the 'said Act'), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed one crore and fifty lakh rupees or the registered person whose aggregate turnover in the year in which such person has obtained registration is likely to be less than one crore and fifty lakh rupees and who did not opt for the composition levy under section 10 of the said Act as the class of persons who shall pay the central tax on the outward supply of goods at the time of supply as specified in clause (a) of sub-section (2) of section 12 of the said Act including in the situations attracting the provisions of section 14 of the said Act, and shall accordingly furnish the details and returns as mentioned in Chapter IX of the said Act and the rules made thereunder and the period prescribed for the payment of tax by such class of registered persons shall be such as specified in the said Act.

[F. No. 349/74/2017-GST (Pt.)]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2017

सं. 41/2017-केन्द्रीय कर

सा.का.नि.1255 (अ).—आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी सम्मिश्रण पूर्तिकार द्वारा केन्द्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 के नियम 62 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-4 में जुलाई से सितम्बर, 2017 की तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा का 15 नवम्बर, 2017 तक विस्तार करता है।

[फा. सं. 349/74/2017-जीएसटी (पीटी)]

डा. श्रीपार्वती एस.एल.,अवर सचिव,